To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal
Principle Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001
E-mail – judicial-ngt@gov.in

Subject - Submission of Updated Status Report by the Applicant Chief Conservator of Forest Office, Mirzapur Zone, Uttar Pradesh in the matter of Chaudhari Jasvant Singh Vs Union of India and others O.A. No. 112/2024

Sir,

Kindly refer to the Subject mentioned above. In the matter of O.A. No. 112/2024 Chaudhari Jasvant Singh Vs Union of India and others, here is the Updated Status Report regarding the same.

It is requested that the aforesaid Updated Status Report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl : As Above

Yours Faithfully

Date – 18.07.2024

Chief Conservator of Forest
Mirzapur Zone, Uttar Pradesh

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली

ओ0ए0 संख्या–112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य

अद्यतन स्थिति रिपोर्ट–

1. जनपद–मीरजापुर में मीरजापुर वन प्रभाग के अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के तहत् विज्ञप्ति संख्या–5924/14–2–20(47)–82 दिनांक 14.01.1984 को 487 बीघा 4 बिश्वा आरक्षित वन भूमि घोषित है।
2. विज्ञप्ति में प्रकाशित गाटा संख्या–827 रकबा–305 बीघा 11 बिश्वा सम्मिलित है। भूमि सुधार अधिनियम के तहत् चकबन्दी के दौरान साबिक गाटा संख्या–827 को समाप्त कर नया नम्बर 291 राजस्व अभिलेखो में दर्ज कर लिया गया। चकबन्दी प्रकिया के दौरान राजस्व विभाग से साठ–गाठ कर सरस्वती देवी ने साबिक गाटा संख्या–827 को समाप्त कर नया नम्बर 291 राजस्व अभिलेखो में कूट रचना कर रकबा 3.79 हे0 पर अपना नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज कराके चकबन्दी प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त विभिन्न न्यायालयो में वाद योजित कर विभाग को उलझाये रखा और विभिन्न न्यायालयो से अनुतोष प्राप्त करते हुये प्रश्नगत आराजी को ए0सी0पी0 टोलवेज को किराया पर दिया गया।
3. ए0सी0पी0 टोल वेज द्वारा भवन निर्माण कर कब्जा कर लिया गया। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने पर ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा मा0 सिविल जज, सिनियर डिविजन के समक्ष वाद संख्या–147/2017 ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार व 2 अन्य योजित कर मा0 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लिया गया। दिनांक 27.02.2020 को सुनवाई करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिया गया।
4. अवैध रूप से ए0सी0पी0 टोलवेज के निर्माण को बेदखली हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक–68/चुनार/10केस, दिनांक 06.09.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 974/मी0/दिनांक 10.09.2020 को ए0सी0पी0 टोल प्लाजा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर नोटिस अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी(1) के तहत वाद संख्या–01/2020 पंजीकृत करते हुए क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज बनाम ए0सी0पी0 टोलवेज को बेदखली हेतु नोटिस जारी की गयी।
5. प्राप्त नोटिस के क्रम में वादी प्रतिवादी उपस्थित आये तत्पश्चात उक्त एजेंसी द्वारा निर्गत नोटिस के क्रम में मा0 सिविल जज सिनियर डिविजन के आदेश दिनांक 27.02.2020 के विरूद्ध मा0 जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकीर्णवाद संख्या–11/2020 ए0सी0पी0टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार रेंज व अन्य योजित किया गया।

6. मा0 जनपद न्यायालय ने सिविल जज (सिनियर डिविजन) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–2020 के कियान्वयन पर रोक लगा दिया गया जो वर्तमान मे मा0 जनपद न्यायालय में दिनांक 12.03.2024 के उक्त वाद के सम्बन्ध में न्यायालय से ज्ञात करने पर आर्डर शीट में पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.08.2024 तक प्रभावी है और प्रकरण विचाराधीन है।

7. मा0 जनपद न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विभाग द्वारा जारी 61बी की कार्यवाही/कियान्वयन स्थगित चल रहा है। जिसके कारण प्रश्नगत टोल प्लाजा द्वारा पूर्व में अतिक्रमित क्षेत्रफल 3.5 हे0 वन भूमि को खाली कराये जाने सम्बन्धित बेदखली की कार्यवाही पूर्ण नही हो पा रही है। ए0सी0पी0टोलवेज द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध चौधरी यशवंत सिंह ने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य योजित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को सुनवाई करते हुये आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

... 5-Respondent No. 6 is directed to file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its setting up in the forest land without permission.

6. List on 10-04-2024

8– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा स्थलीय जॉच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रश्नगत ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण/मौका मुआयना किया गया। जिसमें पाया गया कि ए0सी0पी0टोलवेज द्वारा टोलप्लाजा सहित कर्मचारी आवास, हॉटमिक्स प्लान्ट एवं कार्यालय परिसर आदि का अवैध निर्माण कर चारो तरफ से तार/टीन से घेरवाड़ करते हुए वन भूमि के हाल नम्बर 827 मि0 के कुल रकबा 7.79 हे0 वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।

9– मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर/ई0सी0एक्ट न्यायालय, मीरजापुर के द्वारा दिये गये स्थगन आदेश रकबा–3.79 हे0 के अतिरिक्त 4.00 हे0 आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। जिसके विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने पत्रांक–292/चुनार/10केस दिनांक 01.04.2024 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 61बी के तहत् बेदखली किये जाने हेतु मय संलग्नको सहित अनुरोध किया गया।

10–प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 61बी(1) के तहत् वाद रजिस्टर दर्ज कर वाद संख्या–04/2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0टोलवेज को नोटिस जारी की गयी जिसके विरूद्ध ए0सी0पी0टोलवेज ने जनपद न्यायालय, मीरजापुर में अवमानना वाद संख्या– 56/2024

ए0सी0पी0टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व 02 अन्य योजित किया गया। उक्त अवमानना वाद में विभाग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 में की गयी टिप्पणी के आधार पर मा0 न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। **(संलग्नक संख्या–1)**

11–वाद संख्या–4/2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0टोलवेज की सुनवाई हेतु दिनांक 20.04.2024 को तिथि नियत की गयी। प्रतिपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.05.2024, 13.05.2024, 22.05.2024 व दिनांक 06.06.2024 तथा दिनांक 11.06.2024 को पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में अभिलेखीय/मौखिक किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।

12–पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो एवं वादी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वादी द्वारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। उक्त स्थिति में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61ब में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिपक्षी ए0सी0पी0टोलवेज के विरूद्ध निर्णय देते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया। ए0सी0पी0 द्वारा स्थापित अतिरिक्त समस्त सामान/अवसंरचना हटाने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया है। दिनांक 16.07.2024 को प्रतिपक्षी ए0सी0पी0टोलप्लाजा को बेदखली का आदेश पारित करते हुये समस्त सामान हटाने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया है **(संलग्नक संख्या–2)**।

13–सरस्वती देवी के नाम राजस्व अभिलेख में साबिक गाटा संख्या–827 से बना नया नम्बर 291 रकबा 3.79 हे0 के सम्बन्ध में मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के यहॉ स्थगन आदेश अपास्त कराने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 का सन्दर्भ सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2024 को प्रस्तुत किया गया है **(संलग्नक संख्या–3)** तथा दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 16.07.2024 तक कुल 04 बार तिथि नियत की गयी,परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के विरूद्ध कोई आदेश पारित नही किया गया। प्रकरण में अगली तिथि 01.08.2024 नियत है, जिसकी प्रभावी पैरवी की जा रही है।

अतः उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यो/आधारो पर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन में विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

दिनांक 18.07.2024

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

न्यायालय श्रीमान् जनपद न्यायाधीश जनपद मीरजापुर

प्रकीर्ण वाद सं0–56 सन् 2024

ए0सी0पी0 बनाम वनाधिकारी वगैरह

आपत्ति पत्र द्वारा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, वन प्रभाग मीरजापुर, उप–प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार रेन्ज मीरजापुर, स्वयं व मार्फत श्री शिव प्रसाद दूबे (एड0) फारेस्ट कौंसिल मीरजापुर।

श्रीमान् जी,

मुकदमा उपरोक्त में निम्नलिखित आपत्ति है:–

दफा–1 यह कि मुकदमा उपरोक्त झूठे, मनगढ़न्त व साक्ष्य विहिन तथ्यों पर दाखिल है तथा प्रश्नगत वाद कथित कम्पनी ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा प्रा0लि0 से विना अनुमति लिए दाखिल किया गया है, अनुमति पत्र संलग्न नही है। अस्तु वाद पोषणीय नही है तथा आवेदक दण्ड का पात्र है।

दफा–2 यह कि प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्यों का उल्लेख करके न्यायालय श्रीमान् जी को धोखा देकर हम लोक सेवको पर अनुचित दबाव वनाने की गरज से दाखिल किया गया है। वास्तविकता यह है कि मूल वाद संख्या 147 सन् 2017 ए0सी0पी0 टोलवेज आदि बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी अ0सं0 291मी/2 रकबा 15 बीघा पर दाखिल है जिसमे माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) मीरजापुर द्वारा सम्पूर्ण रकवे को वन भूमि पाया है और 6(ग) प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के यहाँ वाद प्रस्तुत किया गया है एवं माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 11.11.2020 जो मौके पर विवादित रकबा 15 बीघा वाद पत्र में ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा उल्लिखित है, पर

RFO-Chunar SDO(C) DFO(M)

यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है तथा वाद पत्र में दर्शित 15 बीघो पर प्रभावी है।

दफा–3 यह कि उक्त आदेश की आड में ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में रकबा 7.79 हे0 यानी 31 बीघे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है जबकि आदेश मात्र 15 बीघे पर प्रभावी है, मौके पर किये गये अतिक्रमण के पॉलीगान की कापी संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

दफा–4 यह कि उक्त से स्पष्ट है कि ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा जान बूझकर बदनियतीपूर्वक माननीय न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांकित 11.11.2020 का खुला उल्लंघन कर वर्तमान में 31 बीघा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है जिसके लिए वे दण्ड के पात्र है तथा 15 बीघे से अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमणकारियों के कब्जे से वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा 61बी में दी गयी विधि–व्यवस्था के तहत अतिक्रमण मुक्त कराया जाना सर्वथा विधिक व न्यायसंगत है।

दफा–5 यह कि प्रश्नगत वाद न्यायालय माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली प्रिन्सिपल बेंच में ओरिजनल अपील नं0–112/2024 (आई0ए0 नं0–45/2024) चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दाखिल है जिसमें पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश के प्रस्तर 3 में यह धारित किया गया है कि सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार इस तरह के प्रकरण में एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा–29(2) के प्रावधानो से बाधित है। संलग्नक–2

CRPO-Chumar SDO(C) DFO(M)

दफा–6 यह कि प्रभागीय कार्यालय में निर्गत नोटिस वाद सं0–4 सन् 2024 आराजी सं0 827मी जो धारा 20 के गजट में अंकित है, पर किये गये अतिक्रमण पर भारतीय वन अधिनियम (उ0प्र0 संशोधन 2000) की धारा 61बी में दी गई है विधि व्यवस्था के तहत है तथा रकबा 15 बीघा से अतिरिक्त भूमि पर है। यदि उक्त से कोई विक्षुब्ध है तो उक्त अधिनियम की धारा 61(बी)(4) के तहत राज्य सरकार को अपील कर सकता है। संलग्नक–3

ज्ञातव्य है कि भारतीय वन अधिनियम (उ0प्र0 संशोधन 2000) विशेष विधि है जिसमें वर्णित प्रावधान अन्य किसी विधि में वर्णित प्रावधानो पर बाध्यकारी है।

दफा–7 यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 आराजी सं0 291/2 के रकबा 15 बीघा पर प्रभावी है जिसकी आड़ में ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश का घनघोर उल्लघन करते हुए लगभग 31 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर जहाँ एक ओर न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश का घनघोर उल्लंघन किया है यही दूसरी ओर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर गम्भीर प्रकृति का दण्डनीय अपराध भी किया है।

दफा–8 यह कि उक्त से यह भी स्पष्ट है कि हम प्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी भी स्तर पर माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नही किया गया है बल्कि भारतीय वन अधिनियम में प्राप्त वन भूमि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भी माननीय न्यायालय के आदेश के समादर में नही कर रहे है तथा पूर्व में ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा द्वारा दिये गये 15 बीघे वन भूमि के अतिक्रमण को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में बेदखली वाद पर कार्यवाही स्थगित की गई है। संलग्नक–4

(RFO-Khurai) SDO(?) DFO(M)

दफा–9 यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाद फर्जी व मनगढ़न्त तरीके से हम लोक सेवको पर नाजायज दबाव बनाने एवं राजकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है जबकि न्याय का यह सिद्धान्त है कि न्याय चाहने वाले को निर्मल हाथो से आना चाहिए।

दफा–10 यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि हम प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 की कोई अवहेलना नही की गई है बल्कि उक्त आदेश की आड़ में आवेदक व उनकी कम्पनी ए0सी0पी0 टोल वेज द्वारा 15 बीघा की जगह 31 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर उनके द्वारा न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 11.11.2020 का घनघोर उल्लंघन व दुरूपयोग किया है जिसके लिए वे दण्ड के दायी है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा व उनके अधिकारियों व कर्मचारियों तथा आवेदक को दण्डित करते हुए वाद पत्र खारिज करने की कृपा करें। न्याय होगा।

शिव प्रसाद दूबे फा0कौ0 मीरजापुर।	क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज मीरजापुर।	उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार मीरजापुर।	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग मीरजापुर।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा अन्तर्गत–61बी)

वाद संख्या–04 / 2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज
बनाम्
ए0सी0पी0टोलवेज
ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार,
जनपद–मीरजापुर

निर्णय

प्रस्तुत वाद मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर अन्तर्गत चुनार रेंज के ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 में विज्ञप्ति संख्या–5924 / 14–2–20(47)–82, दिनांक 14.01.1984 द्वारा विज्ञापित प्रश्नगत आराजी 827 मि0 305 बीघा 11 बिश्वा आरक्षित वन भूमि घोषित है। चौधरी यशवंत सिंह चौधरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0संख्या–112 / 2024 चौधरी यशवंत सिह बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य योजित किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आदेश पारित किया गया , जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है

... 5-Respondent No. 6 is directed to file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its setting up in the forest land without permission .

मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा मौके का स्थलीय /अभिलेखीय जॉच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर साबिक आराजी संख्या–827 मि0 से बना नया नम्बर 291 में ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा क्षेत्रफल 7.79 हे0 पर अवैध कब्जा पाया गया।

तत्क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक–292 / चुनार / 10केस, दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से मय संलग्नको सहित अवगत कराया गया कि ग्राम–बेलखरा के आराजी संख्या–827 मि0 में ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा 3.79 हे0 के अतिरिक्त लगभग 4 हे0 क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कर्मचारी आवास स्टोर आदि का निर्माण करते हुये वन सीमा को भी नष्ट करते हुये अवैध कब्जा कर लिये है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज के संस्तुति के आधार पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी के तहत् दर्ज रजिस्टर होकर वाद संख्या–4 / 2024 क्षेत्रीय वन

अधिकारी, चुनार बनाम् ए0सी0पी0 टोलवेज को वादी प्रतिवादी को नोटिस जारी हुयी और दिनांक 20.04.2024 को सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गयी। प्रतिवादी द्वारा नियत तिथि को प्रतिपक्षीय उपस्थित आये और लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किये। विवरण निम्नवत् हैः–

- **दिनांक 06.05.2024** को प्रतिपक्षिय उपस्थित आये और लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया कि फर्म के नियुक्ति अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण जवाब दाखिल नही कर सकते।
- **दिनांक 13.05.2024** को प्रतिवादी उपस्थित आये और लिखित रूप से अवगत कराया कि अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण जवाबदेही/साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है
- **दिनांक 22.05.2024** पत्रावली पेश हुयी , वादी प्रतिवादी उपस्थित आये।दोनो पक्षो की उपस्थिति में बहस हेतु अवसर प्रदान किया जाय।
- **दिनांक 06.06.2024** को प्रतिवादी के द्वारा बहस हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके स्वीकार करते हुये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया।
- **दिनांक 11.06.2024** पत्रावली पेश हुयी। वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, किन्तु प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा क्षेत्रफल 3.794 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त वर्तमान में क्षेत्रफल 4.00 हे0 पर वन भूमि में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई वैधानिक कागजात प्रस्तुत नही किया गया ।

प्रस्तुत आपत्ति पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या–01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0 टोलवेज में दिये गये स्पष्टीकरण पर ही बल देते हुये आपत्ति दाखिल की गयी है। जबकि पूर्व में वाद संख्या–01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0 टोलवेज ने अपनी आपत्ति में मा0 न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन, मीरजापुर में दाखिल वाद संख्या–147/2017 ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार व 2 अन्य में वाद दाखिला में साबिक न0 827 से बना हाल नम्बर 291, रकबा–3.79 हे0 पर दावा दाखिल किया गया है जिसमें न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सिनियर डिविजन मीरजापुर दिनांक 27.02.2020 को सुनवाई करते हुये पूर्व में पारित स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र 27ग निष्प्रभावी मानते हुये निरस्त कर दिया गया। निरस्त होने के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज की संस्तुति के उपरान्त ही कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज के स्थलीय/अभिलेखी साक्ष्यो के आधारो पर तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी के तहत् वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद संख्या–01/2020 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0 टोलवेज जारी हुआ। जिसकी चुनौती ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा जनपद न्यायाधीश मीरजापुर के न्यायालय में दी गयी मा0 न्यायालय ने दिनांक 11.11.2020 को यथा स्थिति बनाये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे जारी नोटिस मा0 न्यायालय के समादर में स्थगित और प्रकियाधीन है।

निष्कर्ष

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 में विज्ञापित भूमि का चकबंदी प्रकिया द्वारा राजस्व अभिलेख 41–45के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी आरक्षित वन भूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। इस सम्बन्ध में वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मा0 न्यायालय, एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 के अनुपालन में मौके की स्थलीय/अभिलेखीय जॉच में ए0सी0पी0 टोल वेज द्वारा साविक नम्बर 827 मि0 से बना हाल नम्बर 291 में कुल क्षेत्रफल 7.79 हे0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया जबकि मा0 न्यायालय द्वारा अपील संख्या–11/2020 में मात्र रकबा 3.79 हे0 पर ही स्थगन आदेश पारित है शेष उक्त गाटा में 4 हे0 अतिरिक्त कब्जा पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी ए0सी0पी0 टोलवेज के प्राधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता द्वारा शेष 4 हे0 कब्जा के बावत् कोई अभिलेख/साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा वाद संख्या–11/2020 ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व 2 अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2020 को ही आधार बनाकर मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के न्यायालय में अवमानना वाद संख्या–56/2024 ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व 2 अन्य योजित किया गया है। जिसका किसी प्रकार का सम्बन्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 61 बी बेदखली नोटिस वाद संख्या–04/2024 क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज बनाम् ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा किये गये अतिरिक्त 4 हे0 आरक्षित वन भूमि से नही है। उक्त वाद में सम्यक सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया गया एवं वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का परिशीलन एवं वादी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की वहस सुनने एवं मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक **10.04.2024** द्वारा पारित आदेश में की गयी टिप्पणी के आधार पर एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित टी0एन0गोडाबर्मन बनाम् यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार,जनपद–मीरजापुर के आराजी संख्या–827 मि0 से बना हाल नम्बर 291 में कुल अतिक्रमित 7.79 हे0 वन भूमि में से मा0 न्यायालय से प्रतिपक्षीय के पक्ष में प्राप्त स्थगन आदेश रकबा 3.79 हे0 जैसा कि वाद संख्या–147/2017 ए0सी0पी0टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज व अन्य में संलग्न नक्शे के अनुसार को छोड़ते हुये शेष अविधिक रूप से अतिक्रमण किये गये क्षेत्रफल–4.00 हे0 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अनुसार अपना कब्जा 15 दिवस के अन्दर हटाये अन्यथा उनको अवैध कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा। कब्जा हटाने में होने वाले खर्चो की वसूली उनसे की जायेगी।

आदेश

उपरोक्त पत्रावली के अवलोकन एवं विवेचना के परिस्थितियों को देखते हुये मैं इस अभिमत का हूँ, कि ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जिससे

इनको बेदखल करना विभाग के हित में आवश्यक है। तद्नुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं यह आदेश देता हूँ कि अनाधिकृत/अवैध कब्जाधारी ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे को 15 दिवस के अन्दर खाली कर दें।

उक्त निर्धारित तक ए0सी0पी0 टोलवेज ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर द्वारा वन भूमि पर कब्जा खाली न करने की दशा में उन्हे वन विभाग की उक्त भूमि पर किये गये कब्जे से बल पूर्वक बेदखल कर दिया जाये एवं बल पूर्वक बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी (3) के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार को अधिकृत किया जाता है। उक्त बेदखली की कार्यवाही में होने वाले समस्त व्यय की वसूली ए0सी0पी0 टोलवेज, ग्राम–बेलखरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

आदेश संख्या– 203 **अ/समदिनांक** 16-7-24

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
4. उप जिलाधिकारी, चुनार ।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार ।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, मड़िहान ।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुये प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. ए0सी0पी0टोलवेज, बेलखरा, मीरजापुर ।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संलग्नक-03

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
08-05-24 आठ मई सन चौबीस	22-05-24 बाईस मई सन चौबीस	22-05-24 बाईस मई सन चौबीस	[signature] 22/5/24

08.5.24 न्यायालय विशेष न्यायाधीश Ecact ADJ-4 मीरजापुर
9/2020

सी०पी० टोलवेज बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

से 7 तक
प्रार्थना पत्र 7ग/1 दिनांक 06-05-24 सं. ... है।

73 25/1

न्यायालय श्रीमान् अपर जनपद न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) मीरजापुर

अपील सं0– 11 सन् 2022

ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी

प्रार्थना पत्र द्वारा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर व क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार रेन्ज मार्फत श्री शिव प्रसाद दूबे (एडवोकेट) फारेस्ट कौन्सिल मीरजापुर।

श्रीमान् जी,

मुकदमा उपरोक्त में निम्नलिखित निवेदन है:–

दफा–1 यह कि मुकदमा उपरोक्त में विवादित आराजी संख्या 291 स्थित मौजा बेलखरा, परगना–अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर का सम्पूर्ण रकबा 313 बीघा 6 विस्वा, धारा 20 में विज्ञप्ति आरक्षित वन भूमि है तथा गांव में चकबन्दी प्रक्रिया में भी प्रश्नगत आराजी वन भूमि पायी गयी है तथा भूमि की श्रेणी के कालम में पहाड़ दर्ज है, चकबन्दी आकार पत्र 45 की प्रति संलग्न है 1।

ज्ञातव्य है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत मुकदमें में सरस्वती देवी पत्नी विरजू निवासिनी मौजा बेलखरा से उक्त आराजी को तथाकथित लीज पर लेना कहा गया है। श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय जनपद न्यायाधीश मीरजापुर के यहाँ सिविल अपील संख्या–9 सन् 2012 दाखिल किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश निर्णय दिनांक 22.09.2022 द्वारा अपील को खारिज फरमाते हुए प्रश्नगत आराजी संख्या 291मी रकबा 15 बीघा को

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

आरक्षित वन भूमि माना गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्नक–2 है।

दफा–2 यह कि प्रश्नगत आराजी संख्या 291मी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिन्सिपिल बेंच नई दिल्ली में ओरीजिनल एप्लीकेशन नं0 112/2024 (आई0ए0 नम्बर 45/2024) चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दाखिल है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 10.04.2024 के पैरा नं0 3 में उल्लिखित किया है कि–In this regard, Section 29(2) of the NGT Act, 2010 has been brought to the notice which excludes the juridiction of the Civil Court in such matters. (संलग्नक–3) उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाद उक्त विधि–व्यवस्था से बाधित है, ऐसे में प्रश्नगत वाद व प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 सन्धार्य नही है, ऐसे में प्रश्नगत अपील व आदेश दिनांक 11.11.2020 को तत्काल निरस्त किया जाना जरूरी व न्यायसंगत है।

दफा–3 यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कंसालिडेशन नं0 1268 सन् 1979 स्टेट ऑफ यू0पी0 थ्रू द डिविजनल फोरेस्ट आफिसर बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसालिडेशन यू0पी0 व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम डी0डी0सी0 (ए0आई0आर0 1996 एस0सी0 2432) में पारित निर्णय को संधारित करते हुए यह अभिमक्त व्यक्त किया है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में विज्ञप्ति भूमि पर सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट या कंसालिडेशन कोर्ट की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है, संलग्नक–4 अतएवं प्रश्नगत सिविल अपील व प्रकरण में पारित

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

आदेश दिनांक 11.11.2020 तत्काल निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा–4 यह कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के प्रकाशन के उपरान्त भारतीय वन अधिनियम की धारा 27(ए) लागू है जिसके अनुसार धारा 20 में विज्ञप्ति भूमि को किसी भी अदालत को सुनवाई एवं समायत का क्षेत्राधिकार नही है। उक्त की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इन्द्रपाल सिंह वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 (207(66) ए0एल0आर0 728) में किया गया है। संलग्नक–5

दफा–5 यह कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 की आड़ में वर्तमान में 7.79 हे0 व वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिंया गया है जिससे जहॉ एक ओर लोक सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी जा रही है वही दूसरी ओर सरकार एवं पर्यावरण की भी अपूरणीय क्षति हो रही है जिसके लिए अपीलान्ट पूर्णरूप से दायी है। अस्तु प्रश्नगत वाद तत्काल निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा–6 यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत अपील की सुनवाई किया जाना एवं प्रश्नगत अपील में पारित आदेश दिनांकित 11.11.2020 को स्थिर किया जाना माननीय न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.04.2024 के अवलोकन से स्पष्ट कि सम्पूर्ण कार्यवाही अविधिक है। अस्तु प्रश्नगत अपील तत्काल निरस्त किया जाना आवश्यक है।

दफा–7 यह कि प्रश्नगत अपील में अरसा लगभग दो वर्ष पूर्व लिखित बहस भी दिनांक 7/10/2021 को दाखिल है। अस्तु प्रश्नगत अपील निरस्त किया जाना आवश्यक है।

दफा–8 यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय न्यायालय एन0जी0टी0 में विचाराधीन है तथा प्रश्नगत अपील एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 29(2) एवं भा0व0 अधिनियम की धारा 27(ए) तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था से बाधित है। ऐसे में प्रश्नगत अपील व पारित आदेश दिनांकित 11.11.2020 को तत्काल अपास्त किया जाना जरूरी एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशा दिनांकित 10.04.2024 एवं प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दी गई विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत अपील निरस्त किये जाने की आज्ञा हो।

दिनांक– 06.05.2024

प्रार्थी

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय–मीरजापुर